प्रकीर्ण वाद संख्या ३६/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. २२०/२०१७)
राम सेवक शुक्ला बनाम आशा कंसट्रक्शन आदि
१७.०२.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची राम सेवक शुक्ला द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १२.१२.२०२० को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ₹१०,००० का एवार्ड विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध पारित किया गया था, जो धनराशि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के बैंक खाते में रिफरेंस नं.२०१२३००१५०१ जीएन ००७८५ के माध्यम से दिनाँक ३०.१२.२०२० को जमा की जा चुकी है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थी के पक्ष में रिलीज करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२, अपने बैंक खाते, आधार कार्ड की छाया प्रतियां व Beneficiary Payment Advice की प्रति दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्त उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २२०/२०१७ राम सेवक शुक्ला बनाम आशा कंसट्रक्शन आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील कोई अपील विचाराधीन नहीं है न ही स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। एम.ए.सी.पी. सं. २२०/२०१७ में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित १२.१२. २०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ₹१०,००० का एवार्ड विपक्षी सं. ३ ए.आई.जी. जनरल इश्योरेंस कं. लि. के विरूद्ध पारित किया गया है, जो धनराशि प्रार्थी को जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार अंकित चेक रजिस्टर के क्रमांक १ पर बैंक रिफरेंस नं.२०१२३००१५०१जीएन००७८५ से दिनाँक ३०.१२.२०२० को ₹१०,००० सिंडीकेट बैंक, गोबिन्द चौराहा, झाँसी में जमा कने का विवरण उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹१०,००० मय अब तक अर्जित ब्याज को प्रार्थी जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक) शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २२०/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. ३६/२०२१ राम सेवक शुक्ला बनाम आशा कन्सट्रक्शन आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः-

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Ram Sewak	10000	100	Elect.Mode RTGS/NEFT	31726592821	SBI	SBIN0010894
Total	10000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.17 09:07:05 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI